कर्मचारी चयन आयोग

आशुलिपि परीक्षाओं के प्रतिलेखनों का मूल्यांकनः अशुद्धियों के प्रकार

I. पूर्ण अशुद्धियाः निम्नलिखित अशुद्धियों को पूर्ण अशुद्धि माना जाता हैः-

(क) प्रत्येक निश्चयवाचक अथवा अनिश्चयवाचक उपपद का विलोपन सहित शब्द अथवा अंक का विलोपन । यदि शब्दों के समूह का विलोपन किया गया है, तो विलोपित शब्दों की वास्तविक संख्या के अनुसार अशुद्धियों को चिन्हित करें।

(ख) गलत शब्द अथवा अंक का प्रत्येक प्रतिस्थापन/अशुद्धियों की संख्या लिखवाए (डिक्टेट किए) गए शब्दों/अंकों की संख्या, जिन्हें अन्य शब्द (शब्दों)/अंक (अंकों) द्वारा बदला /प्रतिस्थापित किया गया है, के बराबर होगी।

(ग) शब्द या अंक अथवा शब्दों या अंकों के समूह का प्रत्येक परिवर्धन, जो कि परिच्छेद में मौजूद नहीं है/हैं।

II. अर्ध-अशुद्धियांः निम्नलिखित अशुद्धियों को अर्ध-अशुद्धियां माना जाता हैः-

(क) शब्द में अक्षरों का क्रम परिवर्तन सहित गलत-वर्तनी तथा शब्द से अक्षर अथवा अक्षरों का विलोपन भी। तथापि व्यक्ति वाचक संज्ञाओं और अपरिचित नामों की गलत-वर्तनी पर ध्यान नहीं दिया जाता।

(ख) बहुवचन संज्ञा के लिए एक वचन संज्ञा का प्रयोग करना तथा विलोमतः ।

(ग) वाक्य के आरम्भ में बड़े अक्षरों (Capital letters) अथवा छोटे अक्षरों (Small letters) का गलत प्रयोग करना।

III. टिप्पणी :

i) एक शब्द में एक से अधिक त्रुटियांः सभी त्रुटियों की गणना की जाती है लेकिन एक शब्द में गणना की गई कुल अशुद्धियां, एक पूर्ण अशुद्धि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ii) अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित त्रुटियों अथवा अशुद्धियों के अलावा किसी अन्य प्रकार की त्रुटियों अथवा अशुद्धियों के लिए दंडित न किया जाए।